बिहार सरकार

अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय

(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०स०– स्था०1/आ०2–38/2015 156 पटना, दिनाक. 12-06-19

कार्यालय आदेश

श्री प्रदीप कुमार सिह, तत्कालीन प्रखड साख्यिकी पर्यवेक्षक, हुलासगज प्रखड, जहानाबाद सप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, टेढागाछ प्रखड, किशनगज के विरूद्ध जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के पत्रांक–1758 दिनांक–09 11.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक मे निदेशालय के का०आ०सं०–299 सहपठित ज्ञापक–1981 दिनाक–21 12.2015 द्वारा श्री प्रदीप कुमार सिह, पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही मे अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) जहानाबाद को सचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2 अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–सचालन पदाधिकारी,जहानाबाद के पत्राक–51/ विभागीय जॉच दिनाक–18.09 2018 द्वारा श्री प्रदीप कुमार सिह के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही मे सचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदन दिया है कि " आरोपित कर्मी पर लगाए गये आरोप तथा उस सदर्भ मे उनसे प्राप्त बचाव बयान /स्पष्टीकरण पर जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद का मतव्य प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। आरोपित पर्यवेक्षक ने धान की अधिप्राप्ति के पश्चात् मिलरो को दिए जाने के क्रम मे धान के वजन में हुई क्षति को Storage Loss का मामला बताया है तथा भारत सरकार के एफ०सी०आई०, नई दिल्ली के प्रत्राक–STR/RL/ NZ/11/VOL-III दिनाक–12 12 2012 तथा आन्ध्र प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, हैदराबाद की अधिसूचना संख्या –SWC/QC2/STG.Loss Norms/CWC/ 2012-13 दिनाक–06 05 13 एव ICAR(Indian Council of Agriculture Research) का हवाला देते हुए Storage Loss के तय मानक 1%(एक प्रतिशत) से भी कम 0 63% (शून्य दशमलव छ तीन) है। जो तय मानक की तुलना में नगण्य है

आरोपित पर्यवेक्षक द्वारा भारतीय सविधान पार्ट–III Fundamental Rights के चाप्टर–3 की धारा 20(2) की छायाप्रति दी है वह यह है कि No Person Shall be prosecuted and punished for the same offence more than once " जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दडित नही किया जायेगा " ये दोनो विचारणीय विन्दु है।

जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के पत्राक–347 दिनाक–28 04 2014 के आदेश के अनुपालन मे धान की मात्रा मे हुए क्षति की क्षतिपूर्ति राशि 300960/–(तीन लाख नौ सौ साठ) रूपये मात्र आरापित पर्यवेक्षक श्री प्रदीप कुमार सिह द्वारा जमा कर दिया गया।

आरोपित द्वारा जमा की गई राशि से स्पष्टत: आरोपित के विरूद्ध लगाए गये आरोपो की स्वीकारोक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद ने भी इसे गबन ही बताया है।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्यों के आरोपी पर लगाए गए आरोप प्रथम उनकी स्वीकारोक्ति एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से प्राप्त मंतव्य के आधार पर प्रमाणित होता है

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री प्रदीप कुमार सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अपने अभ्यावेदन मे श्री प्रदीप कुमार सिंह ने उल्लेख किया है कि :–

" (i) जनवरी, 2013 से क्रय कर रखे गये धान का उठाव राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा 10 (दस) माह विलंब से करवाने के कारण निश्चित रूप से काफी मात्रा मे सुखवन (Driage) हुआ एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से यथा–Rodent (कीड़ों), Rats (चूहों), Birds(पक्षियों) आदि से मात्रा में क्षति हुई है, जिसके लिए वे दोषी नहीं है।

(ii) यह स्पष्ट रूप से सुखवन, कीडों, चूहो, पक्षियों के कारण Storage Loss का मामला है न कि गबन का मामला है। भारत सरकार के Food Corpoartion of India, New Delhi के पत्रांक–STK/RL/NZ/II/Vol-III दिनांक–21.12.2012 एवं Andhara Pradesh Stateware Housing Corporation, Hyderabad की अधिसूचना संख्या–SWC/QC2/Stag.Loss Norms/CWC /2012 –13 दिनांक 06.05.2013 एवं संलग्न पत्रों द्वारा ICAR के रिपोर्ट के आधार पर Storage Loss का जो Norms अथार्त मानक तैयार किया गया है, उसके अनुसार उनके द्वारा कुल क्रय किये गये धान की मात्रा 36190.80 क्विंटल के विरूद्ध बिलंब से उठाव करवाने के कारण हुई कमी/क्षति की मात्रा 228.97 क्विंटल है जो एक प्रतिशत से भी कम 0.63 प्रतिशत है जो Storage Loss के तय मानक की तुलना में नगण्य है अर्थात् यह विशुद्ध रूप से Storage Loss का मामला है।

(iii) दिनांक–09.04.2015 को अपराहन् 3.30 बजे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद ने मो०सं०–9431054061 से उनके मो०सं०–9431808984 पर सम्पर्क कर सूचित किया कि आपके द्वारा वर्ष 2012–13 के धान अधिप्राप्ति की मात्रा में क्षति/कमी पायी गयी है जिसकी प्रतिपूर्ति राशि 3,00958/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट अर्थात डी०डी० उनके जहानाबाद कार्यालय मे जमा कर दें अन्यथा कार्रवाई होगी। उन्हे पूर्व मे सूचित नहीं करने के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि क्षति/कमी की राशि जमा करने का नोटिश /आदेश कार्यालय के पत्रांक–347 दिनाक–28 04.2014 द्वारा पूर्व मे ही निर्गत है।

(iv) इस अल्प सूचना पर कार्रवाई के भय से उन्होंने राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद जाकर राशि जमा करने का नोटिश पत्राक–347, दिनाक–28.04 2014 प्राप्त किया । नोटिश में धान क्षति की मात्रा 228 97 क्विटल दर्शाया गया था। वसूलनीय राशि का दर 1314 40 रूपये प्रति क्विंटल दर्शाया गया था, जबकि उनके द्वारा धान का क्रय 1250/–रूपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया था। किन्तु नोटिश के अनुसार धान क्षति/कमी की मात्रा 228 97 क्विंटल का 1314 40 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि रूपये

300960/–(तीन लाख नौ सौ साठ) रूपये का भारतीय स्टेट बैक का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्थात् डी०डी० स० –644458 दिनांक–10.04.2015 को उनके द्वारा राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के कार्यालय मे दिनांक–10.04 2015 जमा कर दिया गया तथा आपत्ति की गयी कि यदि क्षति सुखवन आदि के कारण हुई है तथा माफी योग्य पाया जाय तो यह राशि उन्हें लौटा दी जाय।

इस प्रकार राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा राशि जमा कराने के पूर्व उन्हे स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया गया तथा भय दिखाकर राशि की वसूली कर ली गयी जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है । भय दिखाकर राशि वसूलने के छः माह बाद उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा निदेशालय को भेज दिय गया, जबकि नोटिश पत्र में स्पष्ट अंकित है कि " राशि जमा नहीं करने के पश्चात कार्रवाई होगी " इस प्रकार राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा भय दिखाकर राशि भी वसूल कर ली गयी और विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा भी कर दी गयी।

(v) संविधान के चैप्टर–3 की धारा–20(2) में भारतीय नागरिक को **Fundamental Rights** दिया गया है:– " **Principal of Double Jeopardy** :– किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा।"

किन्तु उनके मामले में राज्य खाद्य निगम द्वारा 1250/– रूपये प्रति क्विंटल के बदले क्षति की राशि 1314.40/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से दंड स्वरूप कुल 3,00,960/– रूपये की वसूली भय दिखाकर कर लिया गया तथा दूसरी तरफ गबन का आरोप लगाकर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा कर दी गयी जो भारतीय संविधान के चैप्टर–3 की धारा–20(2) के अन्तर्गत दिये गये मौलिक अधिकार का हनन किया गया है।

(vi) राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा पहले तो भय दिखाकर धान क्षति की राशि दंड स्वरूप जमा करवा लेना और इसे स्वीकारोक्ति का मामला बताना अपने आप में विरोधाभाष है, जिसका वे प्रतिकार करते हैं।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हो तथ्यो का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण मे दिया गया था, जिसमे समीक्षोपरांत सचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. अपने अभ्यावेदन मे श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा वर्णित यह तथ्य कि जनवरी, 2013 से क्रय कर रखे गये धान का उठाव राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा 10 (दस) माह विलंब से करवाने के कारण निश्चित रूप से काफी मात्रा में सुखवन (Driage) हुआ एवं अन्य प्राकृतिक कारणो से यथा–Rodent (कीड़ें), Rats (चूहो), Birds(पक्षियों) आदि से मात्रा में क्षति हुई है, जिसके लिए वे दोषी नही है, को सतोषजनक उत्तर नही माना जा सकता है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि क्रय किये गये धान को सुरक्षित रखने का प्रयास करते। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहण नही किया जिसके चलते 228.97 क्विंटल धान की क्षति हुई, जिसकी राशि इनके द्वारा राज्य खाद्य निगम , जहानाबाद के कार्यालय मे जमा किया गया। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकारयोग्य नही है

5. उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रदीप कुमार सिंह पर संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रदीप कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हुलासगंज प्रखंड, जहानाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टेढ़ागाछ प्रखंड, किशनगंज पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 मे किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–38/2015 / 1118 पटना, दिनांक: 12-06-19

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को उनके पत्रांक–1758 दिनांक–09.11.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री प्रदीप कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हुलासगंज प्रखंड, जहानाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टेढ़ागाछ प्रखंड, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक